

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक/एफ-5/1118/2022/10-11/165

भोपाल, दिनांक 11/11/23

प्रेषक :-

सुनील अग्रवाल, (भा.व.से.)  
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं  
नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980  
मध्यप्रदेश, भोपाल।

प्रति,

सहायक वन महानिरीक्षक,  
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,  
इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड,  
नई दिल्ली-110003

विषय:- रायसेन जिले के वन मण्डल औबेदुल्लागंज अन्तर्गत रातापानी अभयारण्य में स्थित वनग्राम नीलगढ़ को विस्थापित कर परिक्षेत्र गौहरगंज के कक्ष क्रमांक पी.एफ.-881, पी.एफ.-882 एवं आर.एफ.-315 एवं आर.एफ.-316 में विस्थापित/ पुर्नवास किए जाने हेतु 55.00 हेक्टेयर वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम के तहत प्रस्ताव।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक/8-04/2022-FC दिनांक 09.11.2022

---0---

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आपने विषयांकित प्रकरण की सशर्त प्रथम चरण सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई थी। स्वीकृति पत्र में उल्लेखित शर्तों का पालन प्रतिवेदन निम्नानुसार है:-

A:	Conditions which need to be complied prior to handing over of forest land by the State Forest Department and compliance is to be submitted prior to Stage-II approval:
i	<p>The State Govt. shall submit the documentary evidence/certificate indicating the extent of Nistar /community rights;</p> <p>वनमंडल औबेदुल्लागंज की निस्तार पत्रिका वर्ष 2022 के अनुसार ग्राम नीलगढ़ में चराई हेतु वन कक्ष क्रमांक आर.एफ.467 का वन क्षेत्र 359.174 हे० चराई हेतु खुला रखना उल्लेखित है। निस्तार पत्रिका वर्ष 2022 की सत्यापित प्रति परिशिष्ट 1 पर संलग्न है।</p> <p>वनमंडल औबेदुल्लागंज के रातापानी अभयारण्य में स्थित वनग्राम नीलगढ़ के विस्थापन उपरांत कुल 289.731 हे० वनभूमि रिक्त होगी जिसमें ग्राम नीलगढ़ का क्षेत्रफल 72.481 हे० एवं ग्रामीणों के निस्तार/चराई हेतु उपयोग की जाने वाली उपरोक्त 359.174 हे० में 217.25 हे० क्षेत्र शामिल है।</p> <p>वनग्राम नीलगढ़ के रातापानी अभयारण्य से विस्थापन/पुर्नवास हेतु प्रस्तावित स्थल परिक्षेत्र गौहरगंज के कक्ष क्रमांक पी.एफ.881, पी.एफ.882, आर.एफ.315 एवं आर.एफ.316 की प्रस्तावित 55.00 हे० वनभूमि का कलेक्टर जिला रायसेन द्वारा जारी एफ.आर.ए. प्रमाण पत्र क्रमांक 4084 दिनांक 22.12.22 परिशिष्ट 2 पर संलग्न है।</p> <p>वनग्राम नीलगढ़ के विस्थापन/पुर्नवास उपरान्त परिक्षेत्र बनेका के कक्ष क्रमांक आर.एफ.482, आर.एफ.465, आर.एफ.466, एवं आर.एफ.467 की 289.731 हे० रिक्त वनभूमि का कलेक्टर जिला रायसेन द्वारा जारी एफ.आर.ए.प्रमाण पत्र क्रमांक 4009 दिनांक 15.12.22 परिशिष्ट 3 पर संलग्न है।</p>

ii	The District Collector concerned shall furnish a certificate of non-availability of suitable non-forest land for relocation of Village Neelgarh;	कलेक्टर जिला रायसेन के द्वारा पत्र क्रमांक /2245/17-भू-अभि./वर्कलोड/2021 दिनांक 09.12.21 से जारी किया गया, वनग्राम नीलगढ़ के विस्थापन हेतु गैर वनभूमि उपलब्ध नहीं होने का प्रमाण पत्र परिशिष्ट 4 पर संलग्न है।
iii	The correct and complete kml file of the area proposed for diversion shall be uploaded on the e-green watch portal with all requisite details;	व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वनभूमि की के.एम.एल. फाइल ई-ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड की गई है। जिसका I.D. नम्बर 50807 है।
iv	The compliance report shall be uploaded on e-portal ( <a href="https://parivesh.nic.in/">https://parivesh.nic.in/</a> ).	प्रथम चरण स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन ई-पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है।
B:	Conditions which need to be complied on field after handing over of forest land to the user agency by the state Forest Department but the compliance in form of undertaking shall be submitted and compliance is to be submitted prior to Stage-II approval:	
i	Legal status of the diverted forest land may be changed to non-forest land by the state in accordance with Hon'ble Supreme Court order dated 28.01.2019 in IA No. 3924 of 2015 in WP(C) 202/1995 and Ministry's Guidelines dated 20.5.2019;	माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा डब्ल्यू.पी.(सी.) 202/95 में पारित आदेश दिनांक 28.1.2019 को आई.ए. नं० 3924 और मंत्रालय के दिशा-निर्देश दिनांक 20.5.19 के अनुसार डायवर्ट होने वाली वनभूमि को गैर वनभूमि में बदला जावेगा।
ii	The area to be vacated shall be mutated in the name of Forest Department and notified as RF/PF under relevant sections of the Indian Forest Act, 1927, or the State Forest Act as the case may be;	वनग्राम नीलगढ़ के विस्थापन उपरान्त रिक्त क्षेत्र पूर्व से ही भोपाल रियासत का एलॉन नं० 3 दिनांक 12.1.1916 के तहत आरक्षित वन के रूप में घोषित है। वनग्राम नीलगढ़ का क्षेत्रफल जैतपुर फॉरेस्ट ब्लॉक में शामिल है। ऐलान की प्रति परिशिष्ट 5 पर संलग्न है। रातापानी अभयारण्य की प्रबंध योजना वर्ष 2008-09 से 2017-18 तथा इसकी अवधि में मार्च 2023 तक वृद्धि की गई है, की तालिका क्रमांक 2.9.11.8 में उल्लेखित वनग्राम की सूची परिशिष्ट 6 पर संलग्न है। यह रिक्त क्षेत्र वनग्राम का क्षेत्र होने से एवं पूर्व से ही आरक्षित वन के रूप में अधिसूचित होने से पुनः नोटिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है।
iii	The State Government shall ensure that the land vacated in the protected area due to relocation of Village will be developed as per approved Wildlife Management Plan/NTCA Guidelines;	शर्त का पालन किया जावेगा।
iv	The State Government shall ensure that the relocation package is implemented with due regard to specific court orders and Government norms in this regard;	शर्त का पालन किया जावेगा।
v	The State Government shall ensure that no fragmentation of forests should take place due to the relocation project;	शर्त का पालन किया जावेगा।
vi	The State Government shall ensure that the details of relocation shall be provided to the NTCA for onward legal action/compliance in IA No.3924 of 2015 in WP(C) 202/1995;	शर्त का पालन किया जावेगा।
vii	No labour camp Shall be established on the forest land and the user Agency shall provide fuels preferably alternate fuels to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas;	शर्त का पालन किया जावेगा।



viii	The State Government shall ensure that as far as possible naturally growing trees are retained along the roads, in the school, other Government/ public utility complexes around the boundaries of the proposed village, as natural groves;	प्राकृतिक रूप से उगने वाले पेड़ों/फलदार वृक्षों को सड़कों के किनारे/स्कूल/ प्रस्तावित ग्राम के बाऊंड्री के आसपास/ आवासीय क्षेत्र के आसपास/अन्य सरकारी एवं सार्वजनिक स्थलों को प्राकृतिक उपवनों के रूप में रखा जावेगा। व्यपवर्तित वनभूमि पर खड़े फलदार वृक्षों का पातन नहीं किया जावेगा।
ix	The user agency shall export the possibility of translocation of maximum number of trees identified to be filled and shall ensure that any tree felling shall be done only when it is unavoidable and that too under the supervision of the state Forest Department;	व्यपवर्तित वनभूमि में खड़े फलदार वृक्षों को नहीं काटा जावेगा तथा आवश्यकतानुसार ही कृषि क्षेत्र में वृक्ष का पातन किया जावेगा। व्यपवर्तित वनभूमि में खड़े वृक्षों के पातन का कार्य वनमंडल औबेदुल्लागंज द्वारा किया जाता है।
x	The User Agency shall obtain the Environment clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if required;	शर्त का पालन किया जावेगा।
xi	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal;	शर्त का पालन किया जावेगा।
xii	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost as per the directions of the concerned divisional Forest Officer.	शर्त का पालन किया जावेगा।
xiii	No damage to the flora and fauna of the adjoining area shall be caused;	शर्त का पालन किया जावेगा।
xiv	The user agency Shall submit the annual self compliance report in respect of the above stated conditions to the state government, concerned Regional Office and to this Ministry by the end of March every year;	शर्त का पालन किया जावेगा।
xv	Any other condition that the concerned Regional Office of this Ministry may stipulate with the approval of competent authority in the interest of conservation protection and development of forest and wildlife;	शर्त का पालन किया जावेगा।
xvi	The user agency shall comply all the provisions of the all Acts, Rules, Regulations, Guidelines, Hon'ble Court order (s) and NGT order (s) pertaining to this project, if any, for the time being in force, as applicable to the project;	शर्त का पालन किया जावेगा।
xvii	Violation of any of these conditions will amount to violation of forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as prescribed in para 1.21 of chapter 1 of the Handbook of comprehensive guidelines of forest (Conse:vation) Act, 1980 as issue by this Ministry's letter No.5-2/2017-FC dated 28.03.2019.	शर्त का पालन किया जावेगा।

अतः उपरोक्तानुसार प्रथम चरण सैद्धांतिक स्वीकृति में उल्लेखित समस्त शर्तों का पालन पूर्ण हो गया है। कृपया प्रकरण की अंतिम औपचारिक स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।


संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय  
11/01/2023  
(सुनील अग्रवाल)

पृ. क्रमांक/एफ-5/1118/2022/10-11/166  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 11/01/23

1. मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय), भोपाल वृत्त, भोपाल, मध्यप्रदेश।
  2. वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, औबेदुल्लागंज, मध्यप्रदेश।
  3. अधीक्षक, रातापानी अभ्यारण्य, औबेदुल्लागंज वन मण्डल मध्यप्रदेश।
- की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

  
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सू-प्रबंध)  
मध्यप्रदेश, भोपाल



# कार्यालय वनमंडलाधिकारी सा0 वनमंडल औबेदुल्लागंज

होशंगाबाद रोड औबेदुल्लागंज फोन नं0 07480-224062 फेक्स नं0 07480-224911 email-dfotogunj@mp.gov.in

क्रमांक/मा.चि./22/

औ.गंज/दिनांक,

प्रति,

वन संरक्षक

वन वृत्त भोपाल

विषय:

रायसेन जिले के वनमंडल औबेदुल्लागंज अंतर्गत रातापानी अभयारण्य में स्थित वनग्राम नीलगढ को विस्थापित कर परिक्षेत्र गौहरगंज के कक्ष क्रमांक पी.एफ.881, पी.एफ.882 एवं आर.एफ.315 एवं आर.एफ.316 में विस्थापित/पुर्नवास किए जाने हेतु 55.00 हे0 वनभूमि का वन संरक्षण अधिनियम के तहत उपयोग हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का पालन प्रतिवेदन। ऑनलाइन प्रस्ताव क्रमांक FP/MP/FVC/15156/2022

संदर्भ :

1. भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल का पत्र क्रमांक/8-04/2022-एफ.सी. दिनांक 09.11.22
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म0प्र0भोपाल का पत्र क्रमांक/एफ-5/1118/2022/10-11/3775 दिनांक 10.11.22
3. आपका पत्र क्रमांक/मा.चि./6460 दिनांक 22.11.22

—00—

निवेदन है कि, रायसेन जिले के वनमंडल औबेदुल्लागंज अंतर्गत रातापानी अभयारण्य में स्थित वनग्राम नीलगढ को विस्थापित कर परिक्षेत्र गौहरगंज के कक्ष क्रमांक पी.एफ.881, पी.एफ.882 एवं आर.एफ.315 एवं आर.एफ.316 में विस्थापित/पुर्नवास किए जाने हेतु 55.00 हे0 वनभूमि का वन संरक्षण अधिनियम के तहत उपयोग किये जाने के प्रकरण में प्रकरण में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के संदर्भित पत्र दिनांक 09.11.22 के द्वारा वन संरक्षण अधिनियम के तहत प्रदाय की गई प्रथम चरण की सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का पालन प्रतिवेदन/वचन पत्र अधीक्षक रातापानी वन्यप्राणी अभयारण्य औबेदुल्लागंज के द्वारा पत्र क्रमांक 2607 दिनांक 22.12.22 के द्वारा इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम के तहत प्रदाय की गई सैद्धांतिक अनुमति में अधिरोपित शर्तों के पालन हेतु आवेदक अधीक्षक रातापानी अभयारण्य औबेदुल्लागंज द्वारा प्रेषित शर्तवार वचन पत्र/अंडर टेकिंग प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

वनमंडलाधिकारी,  
सा. वनमंडल औ.गंज

पृ.क्रमांक/मा.चि./22/ 02  
प्रतिलिपि :-

औ.गंज/दिनांक, 2-01-23

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) म0प्र0भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित है।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म0प्र0भोपाल की ओर अधीक्षक रातापानी अभयारण्य औबेदुल्लागंज से प्राप्त प्रतिवेदन सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित है।  
संलग्न-उपरोक्तानुसार
3. अधीक्षक रातापानी अभयारण्य औबेदुल्लागंज की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

कार्या. अ.प्र.मु.व.सं (पू.प.)

आवरक क्रमांक.....38.....

मध्यप्रदेश, भोपाल

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)

मध्यप्रदेश, भोपाल

F:/New Ofs Letter 2022.doc

05/01/23

4/11



# कार्यालय अधीक्षक रातापानी वन्यप्राणी अभयारण्य औबेदुल्लागंज

Mobile No- 9424790712, E-Mail : sdoratapani@mpforest.org

क्रमांक/ प्रति, 2607

ओ.गंज/दिनांक/ 22.12.2022

वनमंडलाधिकारी  
सा0 वनमंडल औबेदुल्लागंज

**विषय :** रायसेन जिले के वनमंडल औबेदुल्लागंज अंतर्गत रातापानी अभयारण्य में स्थित वनग्राम नीलगढ़ को विस्थापित कर परिक्षेत्र गौहरगंज के कक्ष क्रमांक पी.एफ.881, पी.एफ.882 एवं आर.एफ.315 एवं आर.एफ.316 में विस्थापित/पुर्नवास किए जाने हेतु 55.00 हे0 वनभूमि का वन संरक्षण अधिनियम के तहत प्रस्ताव। ऑनलाइन प्रस्ताव क्रमांक FP/MP/FVC/15156/2022

**संदर्भ :** आपका पत्र क्रमांक/मा.चि./6563 दिनांक 16.11.22 एवं प्रधान मुख्य संरक्षक (भू-प्रबंध) म0प्र0भोपाल का पत्र क्रमांक/एफ-5/1118/2022/10-11/3774 दिनांक 10.11.22 तथा भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक/8-04/2022-एफ.सी. दिनांक 09.11.22

—00—

निवेदन है कि, प्रकरण अंतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के द्वारा संदर्भित पत्र से रातापानी अभयारण्य में स्थित वनग्राम नीलगढ़ को परिक्षेत्र गौहरगंज के कक्ष क्रमांक पी.एफ.881, पी.एफ.882 एवं आर.एफ.315 एवं आर.एफ.316 में विस्थापित/पुर्नवास किए जाने हेतु 55.00 हे0 वनभूमि के व्यपवर्तन हेतु वन संरक्षण अधिनियम के तहत प्रेषित किये गये प्रस्ताव में प्रथमचरण की सर्शत स्वीकृति जारी की गई है। स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का पालन प्रतिवेदन निम्नानुसार प्रेषित है :-

A:	Conditions which need to be complied prior to handing over of forest land by the State Forest Department and compliance is to be submitted prior to Stage-II approval:
i	<p>The State Govt. shall submit the documentary evidence/certificate indicating the extent of Nistar/community rights;</p> <p>वनमंडल औबेदुल्लागंज की निस्तार पत्रिका वर्ष 2022 के अनुसार ग्राम नीलगढ़ में चराई हेतु वन कक्ष क्रमांक आर.एफ.467 का वन क्षेत्र 359.174 हे0 चराई हेतु खुला रखना उल्लेखित है। निस्तार पत्रिका वर्ष 2022 के पृ.क्रमांक 65 की सत्यापित प्रति परिशिष्ट 1 पर संलग्न है।</p> <p>वनमंडल औबेदुल्लागंज के रातापानी अभयारण्य में स्थित वनग्राम नीलगढ़ के विस्थापन उपरांत कुल 289.731 हे0 वनभूमि रिक्त होगी जिसमें ग्राम नीलगढ़ का क्षेत्रफल 72.481 हे0 एवं ग्रामीणों के निस्तार/चराई हेतु उपयोग की जाने वाली उपरोक्त 359.174 हे0 में 217.25 हे0 क्षेत्र शामिल है।</p> <p>वनग्राम नीलगढ़ के रातापानी अभयारण्य से विस्थापन/पुर्नवास हेतु प्रस्तावित स्थल परिक्षेत्र गौहरगंज के कक्ष क्रमांक पी.एफ. 881, पी.एफ.882, आर.एफ.315 एवं आर.एफ. 316 की प्रस्तावित 55.00 हे0 वनभूमि का कलेक्टर जिला रायसेन द्वारा जारी एफ.आर.</p>

सत्य परिशिष्टि

वन वन मण्डलाधिकारी,  
औबेदुल्लागंज.



		ए.प्रमाण पत्र क्रमांक 4084 दिनांक 22.12.22 परिशिष्ट 2 पर संलग्न है। वनग्राम नीलगढ़ के विस्थापन/पुर्नवास उपरान्त परिक्षेत्र बिनेका के कक्ष क्रमांक आर.एफ.482, आर.एफ.465, आर.एफ.466, एवं आर.एफ.467 की 289.731 हे0 रिक्त वनभूमि का कलेक्टर जिला रायसेन द्वारा जारी एफ.आर.ए.प्रमाण पत्र क्रमांक 4009 दिनांक 15.12.22 परिशिष्ट 3 पर संलग्न है।
ii	The district collector shelf finished a certificate of non-availability of suitable non forest land for the location of village neelgarh;	कलेक्टर जिला रायसेन के द्वारा पत्र क्रमांक /2245/17-भू-अभि./वर्कलोड/2021 दिनांक 09.12.21 से जारी किया गया, वनग्राम नीलगढ़ के विस्थापन हेतु गैर वनभूमि उपलब्ध नहीं होने का प्रमाण पत्र परिशिष्ट 4 पर संलग्न है।
iii	The correct and complete kml file of the area proposed for diversion shall be uploaded on the e-green watch portal with all requisite details;	व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वनभूमि की के.एम. एल.फाइल ई-ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड की गई है।
iv	The compliance report shall be uploaded on e-portal ( <a href="https://parivesh.nic.in/">https://parivesh.nic.in/</a> ).	पालन प्रतिवेदन ई-पोर्टल पर ( <a href="https://parivesh.nic.in/">https://parivesh.nic.in/</a> ) पर अपलोड की गई है।
B.	Conditions which need to be complied on field after handing over of forest land to the user agency by the state Forest Department but the compliance in form of undertaking shall be submitted and compliance is to be submitted prior to Stage-II approval:	
i	Legal status of the diverted forest land may be changed to non-forest land by the state in accordance with Hon'ble Supreme Court order dated 28.01.2019 in IA No. 3924 of 2015 in WP(C) and Ministry's Guidelines dated 20.5.2019;	माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा डब्ल्यू.पी. (सी.) 202/95 में पारित आदेश दिनांक 28.1.2019 को आई.ए. नं0 3924 और मंत्रालय के दिशा-निर्देश दिनांक 20.5.19 के अनुसार डायवर्ट होने वाली वनभूमि को गैर वनभूमि में बदला जावेगा।
ii	The area to be vacated shall be mutated in the name of forest department and notified as RF/PF under relevant sections of the Indian forest Act, 1927, or the State forest Act as the case may be;	वनग्राम नीलगढ़ के विस्थापन उपरान्त रिक्त क्षेत्र पूर्व से ही भोपाल रियासत का एलॉन नं0 3 दिनांक 12.1.1916 के तहत आरक्षित वन के रूप में घोषित है। वनग्राम नीलगढ़ का क्षेत्रफल जैतपूर फॉरेस्ट ब्लॉक में शामिल है। ऐलान की प्रति परिशिष्ट 5 पर संलग्न है। रातापानी अभयारण्य की प्रबंध योजना वर्ष 2008-09 से 2017-18 तथा इसकी अवधि में मार्च 2023 तक वृद्धि की गई है, की तालिका क्रमांक 2.9.11.8 में उल्लेखित वनग्राम की सूची परिशिष्ट 6 पर संलग्न है। यह रिक्त क्षेत्र वनग्राम का क्षेत्र होने से एवं पूर्व से ही आरक्षित वन के रूप में अधिसूचित होने से पुनः नोटिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है।

नरेश पांडे

वन विभाग प्रमुख,  
नीलगढ़



iii	The State government shall ensure that the land vacated in the protected area due to relocation of village will be developed as per approval wildlife management plant/NTCA guideline;	शर्त का पालन किया जावेगा।
iv	The State Government shall ensure that the relocation package is implemented with due regard to specific court orders and Government norms in the regard;	शर्त का पालन किया जावेगा।
v	The State Government shall ensure that no fragmentation of forests should take place due to the relocation project;	शर्त का पालन किया जावेगा।
vi	The State Government shall ensure that the details of relocation shall be provided to the NTCA for onward legal action/compliance in IA No.3924 of 2015 in WP(C) 202/1995;	शर्त का पालन किया जावेगा।
vii	No labour camp Shall be established on the forest land and the user Agency shall provide fuels preferably alternate fuels to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest area;	शर्त का पालन किया जावेगा।
viii	The State Government shall ensure that as far as possible naturally growing trees are retained along the roads, in the school, other Government/public utility complexes around the boundaries of the proposed village, as natural groves;	प्राकृतिक रूप से उगने वाले पेड़ों/फलदार वृक्षों को सड़कों के किनारे/स्कूल/ प्रस्तावित ग्राम के बाऊंड्री के आसपास/ आवासीय क्षेत्र के आसपास/अन्य सरकारी एवं सार्वजनिक स्थलों को प्राकृतिक उपवनों के रूप में रखा जावेगा। व्यपवर्तित वनभूमि पर खड़े फलदार वृक्षों का पातन नहीं किया जावेगा।
ix	The user agency shall export the possibility of translocation of maximum number of trees identified to be filled and shall ensure that any tree felling shall be done only when it is unavoidable and that too under the supervision of the state Forest Department;	व्यपवर्तित वनभूमि में खड़े फलदार वृक्षों को नहीं काटा जावेगा तथा आवश्यकतानुसार ही कृषि क्षेत्र में वृक्ष का पातन किया जावेगा। व्यपवर्तित वनभूमि में खड़े वृक्षों के पातन का कार्य वनमंडल औबेदुल्लागंज द्वारा किया जाता है।
x	The user agency shall obtained the environment clearance as per the provisions of the environmental (Protection) Act, 1986, if required;	शर्त का पालन किया जावेगा।
xi	The forest land shall not be used for any propose other than that specified in the proposal;	शर्त का पालन किया जावेगा।
xii	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost as per the directions of the concerned divisional forest officer.	शर्त का पालन किया जावेगा।
xiii	No damage to the flora and fauna of the adjoining area shall be caused;	शर्त का पालन किया जावेगा।
xiv	The user agency Shall submit the annual self compliance report in respect of the above stated conditions to the state government,	शर्त का पालन किया जावेगा।

परिपत्र संख्या 1/2015

पर वन मन्त्रालय सचिवालय,  
राज्यपालावास,



	concerned regional office and to this ministry by the end of March every year;	
xv	Any other condition that the concerned regional office of this ministry may stipulate with the approval of competent authority in the interest of conservation protection and development of forest and wildlife;	शर्त का पालन किया जावेगा।
xvi	The user agency shall comply all the provisions of the all Acts, Rules, Regulations, Guidelines, Hon'ble Court order (s) and NGT order (s) pertaining to this protect, if any, for the time being in force, as applicable to the project;	शर्त का पालन किया जावेगा।
xvii	Violation of any of these conditions will amount to violation of forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as prescribed in para 1.21 of chapter 1 of the handbook of comprehensive guidelines of forest (Conservation) Act, 1980 as issue by this Ministry's letter No.5-2/2017-FC dated 218.3.2019.	शर्त का पालन किया जावेगा।

भारत शासन द्वारा ग्राम नीलगढ़ के विस्थापन/पुर्नवास हेतु संदर्भित पत्र से जारी प्रथम चरण की स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का पालन प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है। कृपया प्रकरण में अंतिम औपचारिक स्वीकृति जारी कराने का अनुरोध है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार  
परिशिष्ट 1 से 06

नरक पंचलिपि

श्री वन मण्डलाधिकारी,  
श्रीवेङ्कटराज

अधीक्षक  
रातापानी वन्यप्राणी अभयारण्य  
श्रीवेङ्कटराज

## चराई के लिए खुला अभ्यारण क्षेत्र (सामान्य) वन मंडल औ.गंज

अ. क्र.	परिक्षेत्र व नाम	ग्राम का नाम	कक्ष क्रमांक	रकबा (हे.)
1	2	3	4	5
01	बिनेका	बिनेका, जैत	RF - 438	465.900
02	-----"	लुलका	RF - 439	592.400
03	-----"	बोरखाड़ी, डामडोंगरी, बम्होरी	PF - 441	273.405
04	-----"	मगरधा	RF - 443	514.350
05	-----"	घाट खमरिया, सिवनी, खपरिया खापा सुल्तानपुर जोड़	PF - 729	105.525
06	-----"	रमपुरा, मण्डवा	PF - 726	164.025
07	-----"	बगासपुर, सतधारा, पिपलिया कीर,	RF - 446	469.000
08	-----"	पिपरिया खुर्द, काजीहाऊस, चित्तौड़ा		
08	-----"	सेमरी, सिलारी	RF - 450	398.475
09	-----"	जैतपुर	RF - 462	257.675
10	-----"	साजौली	RF - 471	313.049
11	-----"	नीलगढ़, घोड़ा पछाड़, डुंगरिया, चकावाली	RF - 467	356.13
12	-----"	धुनवानी, केमवाली, केवलाझिर, मालझिर	RF - 486	319.174
13	-----"	पाटनी, झिरपई, कोलापठार, पीपलवानी		
13	-----"	दांत खो	RF - 477	359.174
			<b>योग</b>	<b>4588.282</b>
01	बाड़ी	बाड़ी, बजीरगंज, पनागर, कमका	PF - 719	18.000
02	-----"	दिमाड़िया, पारतलाई, घोट एवं नयागांव		15.000
02	-----"	पपलई, पांजरा, उदयगिरी, गुलबाड़ा	PF - 715	
			<b>योग</b>	<b>33.000</b>

सत्य परिचयि

वन मंडल विकास अधिकारी,  
बोधिबुद्धकागंज.



परिशिष्ट (२)

FORM-II  
(for projects other than linear projects)  
Government of Madhya Pradesh  
District Level forest Right committee Dist. Raisen (M.P.)

No. 4084

Date. 22/12/2022

TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the ministry of Environment and Forest (MoEF) Government of India's letter number 11-9/98-FC(pt.) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 where in the (MoEF) Issued guidelines on submission of evidences for having initiated and complete the process of settlement of right under the Schedule Tribes and other traditional forest Dwellers (Recognition of forest rights) Act, 2006 (FRA. for short) on the forest land Proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 55.00 hact. of forest land proposed to be diverted in compartment No PF 881, PF 882, RF 315 and RF 316 in favour of forest Department for Rehabilitation of forest village Neelgarh in Raisen District falls within jurisdiction of Amoda Village in Goharganj tehsil.

It is further certified that

- The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 55.00 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meeting of the Forest Right Committee(s) Gram (Sabha)(s) are enclosed as annexure-1
- The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;
- The each of concerned Gram Sabha (s) has certified that all formalites/processes under the FRA have been carried our, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any having understood the purpose and details of proposed diversion, A Copy of certificate issued by the gram sabha of Amoda villages is enclosed as annexure-1 as above.
- The discussion and decisions on such proposal had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the member of Gram Sabha present.
- The diversion of forest land for facilities managed by the government as required under Section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have given their consent to it;
- The right of Primitive Tribal Groups and Pre-Agriculture Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3(1)(e) of the FRA.

Encl : As Above

सत्य परित्याग

सत्य परित्याग  
सत्य परित्याग  
सत्य परित्याग

(Arvind Dubey)  
Collector  
Raisen



41212102 (3)

FORM-II  
(for projects other than linear projects)  
Government of Madhya Pradesh  
District level forest Rights committee Dist.Raisen (M.P.)  
\*\*\*\*\*

No. 4509..

Date :- 15/12/2022


TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No.11-9/98-FC(pt.)dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF Issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act,2006 (FRA',for short) in the forest Villages,Neelgarh in Ratapani Wildlife sanctuary of Forest Divison (T) Obaidullaganj,for 289.731 Ha.of forest land (comp,no.RF 482, comp.no.RF 465 part, comp.no.RF 466 part and comp.no.RF 467 part 467 part) for Voluntary village Relocation.It is further certified that,

- (a) The complete process for indentification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 289.731 hactares of forest area, proposed for village relocation.
- (b) The proposal for village relocation(with full details of the project and its implications, in vernacular/local language) has been placed before each concerned Gram sabha of forest-dwellers,who are eligible under the FRA;
- (c) The each of concerned Gram Sabha (s),has certified that all formalities/processes under the FRA has been carried out,and that they have given their consent to the proposed relocation and the compensation and measures.
- (d) The discussion and decisions on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present.
- (e) The village Relocation process by the Government as required under sector 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have given their consent to it;
- (f) The forest villages,neelgarh shall be voluntary relocated and all the rights shall be settled as per the voluntary village relocation policy of the NTCA an Government of Madhya Pradesh.

सत्य प्रतिनिधि

  
सत्य प्रतिनिधि,  
संविधानसभा

  
(Arvind Dubey)  
Collector  
Raisen



परिष्कार - (4)

कार्यालय कलेक्टर भू-अभिलेख जिला रायसेन ( म.प्र.)

☎ - 07482-223005

E-mail:- slrrai@mp.gov.in

क्रमांक/2245/17-भू-अभि./वर्कलोड/2021

रायसेन दिनांक 9/12/2021

प्रति,

वनमंडलाधिकारी  
सामान्य वनमंडल औबेदुल्लागंज  
जिला रायसेन (म.प्र.)

विषय:- जिला रायसेन रातापानी वन्य अभ्यारण्य में स्थित वन ग्राम नीलगढ एवं धुनवानी के विस्थापन हेतु राजस्व भूमि उपलब्ध कराने बाबत ।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक /मा.चि./21/4024/औ.गंज दिनांक 18/10/2021 के संदर्भ में ।

-----0-----

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, जिसके माध्यम से आपके द्वारा वनग्राम नीलगढ एवं धुनवानी के विस्थापन हेतु लगभग 200 हेक्टर कृषि योग्य राजस्व भूमि उपलब्ध होने के संबध में अवगत कराने अथवा राजस्व भूमि उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में राजस्व भूमि उपलब्ध नहीं होने का प्रमाण पत्र प्रदाय करने का लेख किया है।

आपके द्वारा चाही गई वांछित जानकारी जिले की तहसीलो से प्राप्त की गई। तहसीलों से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में 200 हेक्टर इकजाई कृषि योग्य राजस्व भूमि उपलब्ध नहीं है।

मा.चि./मि.वि

वन मंडलाधिकारी  
औबेदुल्लागंज

कलेक्टर

जिला रायसेन (म.प्र.)

3555  
20/12/21

1961  
 1961  
 1961  
 1961

1961  
 1961  
 1961

1 1961 1961 1961 1961 1961

1 1961  
 1961 1961 1961 1961 1961  
 1961 1961 1961 1961 1961  
 1961 1961 1961 1961 1961  
 1961 1961 1961 1961 1961

1 1961 1961 1961 1961 1961

1961 1961 1961 1961 1961

1961 1961 1961 1961 1961

1961 1961 1961 1961 1961

⑤-1961



परिक्षेत्रवार ग्रामवार परिवारों, जनसंख्या तथा पशुओं के आंकड़े

जिला	परिक्षेत्र	क्र.	ग्राम का नाम	परिवार संख्या	जनसंख्या	पशु संख्या	ग्राम का क्षेत्रफल	
रायसेन	बरखेड़ा	1	बरखेड़ा	34	1606	7527	117.842	
		2	बोरदा	52	258	310	159.631	
		3	बिनेका(बोरदा)	168	839	273	187.789	
		4	पिपलानी कला	77	385	247	1256.587	
		5	भूतपलासी	55	273	174	618.493	
		6	नासीपुर	54	271	262	149.943	
		7	गौतमपुर कालोनी	606	गौतमपुर जौंदरा	3030	395	309.303
		8						
		9	करमोदा	280	1400	202	1155.343	
		10	कैरी - चौका	35	175	157	134.635	
		11	पांझिर	52	258	310	1683.028	
	बिनेका	12	बिनेका (अंशिक)	210	1049	560	105.467	
		13	डामडोंगरी(अंशिक)	47	234	363	110.374	
		14	बम्हौरी (अंशिक)	44	219	270	92.769	
		15	घाटखमरियां (अंशिक)	159	796	221	114.578	
		16	मगरघा पिपलिया	73	363	324	194.331	
		17	खपरिया खापा	145	723	418	288.461	
		18	मंडवा रमपुरा	77	387	224	192.510	
		19	लुलका	103	515	662	61.744	
		20	बोरखाड़ी	105	527	684	160.161	
		21	दांत खो	09	44	123	108.299	
		22	जैतपुर साजौली	97	483	632	29.352	
		23						
		24	नीलगढ (वनग्राम)	32	158	118	45.040	
		25	धुनवानी (वनग्राम)	31	157	140	41.100	
दाहोद	26	करमई	108	540	370	338.121		
	27	बमनई						
	28	जावरा -मलखार	295	1477	691	62.348		
सीहोर	देलाबाड़ी	29	झिरी -बहेड़ा	183	914	639	479.720	
		30	देलाबाड़ी	40	186	225	26.343	
		31	सुरई -ढाबा	18	78	115	53.240	
		32	मथार (वनग्राम)	112	894	1663	220.900	
			योग	3301	18239	18299	8487.458	

तालिका क्र. 2.9.11.8

सर्व प्रामाणिक

रायसेन परिक्षेत्र प्रमुख, रायसेन

2.13 वर्तमान प्रवेश द्वार :

अभयारण्य में वर्तमान प्रवेश द्वारों की जानकारी तालिका क्रमांक 2.9.11.9 में दर्शाई गई है।



**SUCCESS: The FCA project has been Registered successfully. You can now edit the project details and lock for ID:50807**

Project Name: **Dhunwani Village Relocation from Ratapani Wildlife Sanctuary, (T) Division Obedullaganj** Year: 2022

- To Register a new FCA Project, please click here [Register a New FCA Project](#)
- To Edit details of Existing FCA Project, Please click here [Edit the Existing FCA Project Details](#)
- To Lock the Details of FCA Project. Please click here [Lock FCA Projects](#)
- Add CA Land / Site Details to the Project. Please click here to add the CA Site/Land Details to the Project.

**Diverted Land Details**

Project Name: Dhunwani Village Relocation from Ratapani Wildlife Sanctuary, (T) Division Obedullaganj Project Type: Forest village conversion  
 Total Land Diverted: 55,000

Please select the location (Range) of the diverted Forest Land

Select Circle: --Select-- Select Division: Obedullaganj(T)  
 Select Range: Chikwaha Forest Type: --Select--

Site Name/Compartment Detail: Area of Diverted Forest Land (In Hact.):  
 Location Details of the diverted land:  
 Shape of Diverted land: Block (Polygon) Previously Diverted Area (In Hact.): 0.000

GPS Details of diverted Land: [Choose File](#) No file chosen Upload Scanned copy of Map: [Choose File](#) No file chosen  
 (Please upload KML/RMC file only) (Please upload JPG/jpg file only)

**Diverted Land Details have been Added successfully. You can view the details in the bottom of your screen. Facility to edit the details of diverted land has also been provided**

[Save Diverted Land Details](#) [Go Back](#)

List and Details of the pieces of Forest Lands diverted against FCA projects

S.No.	State	FCA Project	FCA project Year	Area Diverted (In Hact)	Division	Range	Location Details
1	MP	Dhunwani Villag	2022	55,000	Obedullaganj(T)	Chikwaha	Part of Magrai
Total				55,000			